न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता , बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या–43 / 13–14

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46i(b)

आदेश

17/8/13

विक्रेता का नाम एवं पता –	श्री रमानाथ महतो पिता–~~स्व.~~ गंगाधर महतो ग्राम–बिचाहातु पोस्ट–बुढ़ाडीह थाना–बुण्डू जिला–राँची।
क्रेता का नाम एवं पता–	श्री लखिन्द्र नाथ महतो पिता–स्व0 रवि महतो ग्राम–एड़केया पोस्ट–बुढ़ाडीह थाना–बुण्डू जिला–राँची।
विद्वान अधिवक्ता का नाम–	श्री शिवशंकर महतो।

विक्रेता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–29 / 05 / 13 को क्रेता श्री लखिन्द्र नाथ महतो पिता–स्व0 रवि महतो ग्राम–एड़केया पोस्ट–बुढ़ाडीह थाना–बुण्डू जिला–राँची के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
लेपाडीह	11	03	176	0.50 ए0 मध्ये 0.27 ए0
			178	0.42 ए0 मध्ये 0.06 ए0
				कुल 0.33ए0

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी , बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई । साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम इस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी ,बुण्डू के पत्रांक–343(II) दिनांक–08 / 07 / 13 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

(क) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम अबधुत महतो पिता–सौनाराम महतो दर्ज है। पंजी ।। के अनुसार रैयत का नाम मो0 सरीमनी पति–चरण महतो वगैरह दर्ज है।

(ख) उपरोक्त भूमि के विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 4.67 एकड़ भूमि शेष बच जाती है।

(ग) आवेदक को अपने पुत्री का विवाह के लिए पैसो की आवश्यकता है इसलिए भूमि की बिक्री करना चाहते हैं।

(घ) दोनों क्रेता एवं विक्रेता पिछड़ी(कुर्मी) जाति के सदस्य है ,एवं एक ही जिला राँची के निवासी हैं।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी ,बुण्डू ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46i(b) के तहत विक्रेता श्री रमानाथ महतो पिता--~~स्व०~~ गंगाधर महतो ग्राम--बिचाहातु पोस्ट--बुढ़ाडीह थाना--बुण्डू जिला--राँची को क्रेता श्री लखिन्द्र नाथ महतो पिता--स्व0 रवि महतो ग्राम--एड़केया पोस्ट--बुढ़ाडीह थाना--बुण्डू जिला--राँची के हाथों प्रस्तावित भूमि के विक्रय करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक--29/05/13 को निर्गत आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

पुनः दिनांक-- 27/7/13 को विक्रेता एवं क्रेता का बयान न्यायालय में दर्ज किया गया। दिए गए बयान से स्पष्ट है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री विक्रेता के द्वारा अपने पुत्री का विवाह हेतु किया जाना है।

अतः अंचल अधिकारी ,बुण्डू की अनुशंसा एवं विक्रेता के बयान तथा दोनों पक्षों के द्वारा दाखिल स्थानीय निवासी प्रमाण--पत्र एवं जाति प्रमाण--पत्र के आलोक में निम्नलिखित भूमि को विक्रेता श्री रमानाथ महतो पिता--~~स्व०~~ गंगाधर महतो ग्राम--बिचाहातु पोस्ट--बुढ़ाडीह थाना--बुण्डू जिला--राँची को क्रेता श्री लखिन्द्र नाथ महतो पिता--स्व0 रवि महतो ग्राम--एड़केया पोस्ट--बुढ़ाडीह थाना--बुण्डू जिला--राँची के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46i(b) के तहत दी जाती है। आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम पर नहीं करेंगे।

भूमि का वितरण

मौजा	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
लेपाडीह	11	03	176	0.50 ए0 मध्ये 0.27 ए0
			178	0.42 ए0 मध्ये 0.06 ए0
				कुल 0.33ए0

लेखापित एवं संशोधित

17/8/13

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ,
बुण्डू राँची।

17/8/13

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ,
बुण्डू राँची।